बिन्दु क्र.	संशोधन
	4. तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा. जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे.
	5. तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी. आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत् किया जायेगा.
16.4	**स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड –**
	1. तृतीय चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में निर्धारित समय–सारणी अनुसार स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा.
	2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण की काउंसलिंग के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेशित हो चुके हैं अथवा जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण की काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त होने पर भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है वे स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र नहीं होंगे. शेष पूर्व में पंजीकृत तथा सत्यापित एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके अभिलेखों का सत्यापन हो गया हैं, स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे. ऐसे सभी अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा.
	3. स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियां की मैरिट सूची जारी (विज्ञापित) की जायेगी.
	4. उपरोक्त मैरिट सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को केन्द्रीकृत काउंसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश में उपस्थित होकर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालयों द्वारा एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा.
	5. स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश तत्समय जारी किये जायेंगे.
	नोट–काउंसिलिंग के सभी चरणों में पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
17 से 23 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
प्रारुप 01 से 08 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार मिश्र, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2025

मध्यप्रदेश एमडी/एमएस (आयुर्वेद)/एमडी (होम्योपैथी)/एमडी (यूनानी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम

क्र. एफ-AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL).– राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ1–0001–2022–Sec.1–उनसठ–(Ayu) दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में संचालित प्रवेशानुमति प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम "एम.डी.(आयुर्वेद)/एम.एस.(आयुर्वेद), एमडी(होम्योपैथी) एवं एमडी (यूनानी)" में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक–एफ 1–0001–2022–Sec.1–उनसठ–(Ayu) दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा जारी नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

बिन्दु क्र.	संशोधन
1 से 3.5	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्

बिन्दु क्र.	संशोधन
3.6	अध्येता को दुराचरण, अपराधिक कृत्य से संलिप्तता, अनुशासनहींनता तथा लगातार बिना सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है. अनाधिकृत रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रधानाचार्य के द्वारा गुण दोष के आधार पर की जावेगी. इस अनुपस्थित अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा. ऐसे प्रवेश के पश्चात् निष्कासित अभ्यर्थी, निष्कासन की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिये राज्य की शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. सीटों पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे तथा उन्हें आर्थिक दंड स्वरुप रु. 05.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करने होंगे. बकाया राशि की वसूली भू–राजस्व बकाया के समान की जा सकेगी.
3.7 से 4.5 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
5	**सीटों की उपलब्धताः–** आयुष मंत्रालय भारत सरकार/एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. से अनुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों में प्रवेश हेतु 15 प्रतिशत सीटों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित होने वाली सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग द्वारा तथा 85 प्रतिशत सीटों को राज्यस्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जावेगा जिसकी जानकारी महाविद्यालयवार, पाठ्यक्रमवार, विषयवार एवं श्रेणीवार म. प्र. राज्य में पी.जी. काउंसिलिंग हेतु विभागीय वैबसाइट www.ayush.mp.gov.in व एम.पी. ऑनलाइन आयुष पोर्टल https://ayush.mponline.gov.in पर यथासमय प्रदर्शित की जावेगी. इन सीटों को परीक्षा में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से भरा जायेगा. सीटों की संख्या में परिर्वतन हो सकता है, जो यथासमय निर्धारित पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा. सीटों की आरक्षण तालिका काउंसिलिंग के समय आयुष पोर्टल https://ayush.mponline.gov.in पर उपलब्ध करायी जावेगी.
6 से 7.6 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
7.7	अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय स्वयं उपस्थित रहकर सभी आवश्यक निम्न मूल दस्तावेज प्रोफार्मा–1 सहित प्रस्तुत करना होगा :– 1. AIAPGET की ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप एवं फोटो सहित जारी एडमिटकार्ड. 2. AIAPGET की अंकसूची. 3. 10वीं/12वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची. 4. यथायोग्य बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. परीक्षा के समस्त प्रॉफ/वर्ष की अंकसूची. 5. अनिवार्य इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट(Compulsory Internship Completion Certificate) अथवा भारत सरकार द्वारा निर्देशित तिथि तक पूर्ण करने संबंधी प्रमाण–पत्र. 6. अभ्यर्थी का वैद्य पहचान–पत्र.

बिन्दु क्र.	संशोधन
	7. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वःघोषित स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र. 8. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो). 9. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉन क्रीमीलेयर के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष का (जो काउंसिलिंग सत्र से 01 वर्ष से अधिक पूर्व का न हो) तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वःघोषित आय प्रमाण–पत्र. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2017 के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग के संबन्ध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के लिए निर्धारित मापदण्डानुसार निर्धारित की जावेगी. 10. दिव्यांग संवर्ग हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्र. 11. चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाण–पत्र. 12. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी. 13. चरित्र प्रमाण–पत्र.
8 से 9 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
10	**अभिलेख सत्यापन :–** अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के पश्चात् निर्धारित समय–सारणी अनुसार समस्त मूल अभिलेखों को सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी शासकीय आयुष (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) महाविद्यालय में स्थित सत्यापन केन्द्रों में जाकर मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकेंगे, इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश तत्समय एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे.
11 से 15.5 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्
16.1	**प्रथम चरण की काउंसिलिंग–** 1. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे. 2. प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु च्वाईस फिलिंग व लाकिंग करना अनिवार्य होगा. 3. निर्धारित समय–सारणी में ऑनलाइन सीट आवंटन आदेश जारी किया जावेगा. 4. आवंटन परिणाम के पश्चात् अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं. 5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन–पत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु सीट आवंटन परिणाम की प्रति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा. जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है, ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे. 6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट आवंटन के पश्चात् कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है,

बिन्दु क्र.	संशोधन
	ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण/तृतीय चरण की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे.
16.2	द्वितीय चरण की काउंसिलिंग–
	1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात् उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है एवं नवीन पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे.
	2. सभी पात्र अभ्यर्थियों एवं जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है, उन्हें नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की आंवटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चरण की ही काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे.
	3. निर्धारित समय–सारणी में ऑनलाइन सीट आवंटन आदेश जारी किया जावेगा.
	4. आवंटन परिणाम के पश्चात् अभ्यर्थी के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें से वह या तो सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं.
	5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन सीट आवंटन–पत्र में (Satisfied) ऑप्शन दिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु सीट आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा. जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है, ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे.
	6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात् प्रदाय विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा सन्तुष्ट (Satisfied) विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी. ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चरण की ही काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे.
	7. द्वितीय चरण में सीटों के परिवर्तन में, नियम 6.2 व 6.3 के प्रावधान लागू होंगे.
16.3	तृतीय चरण की काउंसिलिंग–
	1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी पूर्व पंजीकृत तथा सत्यापित एवं नवीन पंजीकृत तथा सत्यापित अभ्यर्थी तृतीय चरण हेतु पात्र होंगे. सभी पात्र तथा तृतीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा.
	2. निर्धारित समय–सारणी अनुसार तृतीय चरण का आवंटन किया जावेगा.
	3. अभ्यर्थी को तृतीय चरण में सीट आवंटन होने पर महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा बेहतर विकल्प चुनने (Opt for Upgradation) की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. साथ ही ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे.
	4. तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज

बिन्दु क्र.	संशोधन
	तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा. जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है, ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे. 5. तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी. आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 6.2 व 6.3 के तहत् किया जायेगा.
16.4	**स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड –** 1. तृतीय चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में निर्धारित समय–सारणी अनुसार स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा. 2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण की काउंसलिंग के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेशित हो चुके हैं अथवा जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त होने पर भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है, वे स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र नहीं होंगे. शेष पूर्व में पंजीकृत तथा सत्यापित एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके अभिलेखों का सत्यापन हो गया हैं, स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे. ऐसे सभी अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा. 3. स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी (विज्ञापित) की जायेगी. 4. उपरोक्त मैरिट सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल, (म.प्र.) में उपस्थित होकर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालयों द्वारा एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा. 5. स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश तत्समय जारी किये जायेंगे.
17 से 29 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार मिश्र, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2025

मध्यप्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम

क्र. एफ-AYU-0364-2025-CLG-AYUSH (BPL).– राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुष विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ1–0001–2022–Sec.1–उनसठ–(Ayu) दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के प्रवेशानुमति प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी. योगा एवं नेचुरोपैथी) में प्रवेश हेतु नियम जारी किये गये थे.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक–एफ 1–0001–2022–Sec.1–उनसठ–(Ayu) दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा जारी नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

बिन्दु क्र.	संशोधन
1 से 5.2 तक	कोई संशोधन नहीं किया गया है यथावत्

मध्यप्रदेश एमडी/एमएस (आयुर्वेद)/एमडी (होम)/एमडी (यूनानी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम,

क्रमांक/एफ1/०००1/2021/sec-1/59/(Ayu) राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में संचालित प्रवेशानुमति प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम "एम.डी. (आयुर्वेद)/एम.एस, (आयुर्वेद), एमडी (होम्योपैथी) एवं एमडी (यूनानी)"में प्रवेश से सम्बंधित निम्नलिखित नियम बनाती हैः-

1. **शीर्षक**-ये नियम "मध्यप्रदे श आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातकोत्तरपाठ्यक्रम प्रवेश नियम कहलायेंगे। ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें**- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,

2.1 **"महाविद्यालय"**से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य में संचालित प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी) एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय।

2.2 **"परीक्षा"**से अभिप्रेत है भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा National Testing Agency (NTA) के माध्यम से आयोजित आयुष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा (All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIAPGET)

2.3 **"सीट"**से आशय है, महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत सीट।

2.4 **"सेवारत अभ्यर्थी"**से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के ऐसे नियमित आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन सेवा कर रहे हो;

2.5 **"प्रवर्ग"**से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा), अनुसूचित जाति (अ.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) तथा अनारक्षित (अना.) श्रेणी;

2.6 **"संवर्ग"**से अभिप्रेत है दिव्यांग (पी.डब्लू.डी) जैसा कि एमसीआई/एनएमसी द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना अनुसार पात्र अभ्यर्थी एवं महिला(एफ)।

2.7 **"चयनित अभ्यर्थी"**से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है।

2.8 **"राज्य सरकार"**से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

2.9 **"आयुक्त"**से अभिप्रेत है आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0;

2.10 **"प्रधानाचार्य"**से अभिप्रेत है संबंधित महाविद्यालय/संस्थान का अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख;

2.11 **"एन.सी.आई.एस.एम."**से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग।

2.12 **"एन.सी.एच."**से अभिप्रेत है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग।

2.13 **"काउंसिलिंग"**से अभिप्रेत है केन्द्रीयकृत परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट एवं पात्रता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रक्रिया

2.14 **"विश्वविद्यालय"**से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जिससे मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध है।

2.15 **"अभ्यर्थी"**से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक व्यक्ति।

2.16 **"अध्येता"** से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपरान्त छात्र-छात्राये।

2.17 **"ऑल इंडिया कोटा"**से अभिप्रेत है म. प्र. राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों की वह सीटें जिनको ऑल इंडिया स्तर पर काउंसिलिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित रखा गया है;

2.18 **"स्टेट कोटा"**से अभिप्रेत है म. प्र. राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों की वह सीटें जिनको राज्य स्तर की काउंसिलिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित रखा गया है;

2.19 **"सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग"**से अभिप्रेत है राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों की ऑल इंडिया कोटा की सीटों को भरने हेतु ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित होने वाली काउंसिलिंग।

2.20 **"ऑल इंडिया रिवर्टेड सीट"**से अभिप्रेत है, ऑल इंडिया कोटे की वह सीट जो सेन्ट्रलाइज्ड काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त रहने पर वापस की गई है।

3- सामान्य निर्देश-

3.1 स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम, यथास्थिति एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच./ विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी समिति द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे।

3.2 प्रवेश की तारीख से उपाधि की दशा में तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होंगे। छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रैक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3.3 अभ्यर्थी द्वारा जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रवेश काउंसिलिंग संबंधित फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को सीट आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

3.4 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आयुष पोर्टल **https://ayush.mponline.gov.in** में आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई तथ्य एवं जानकारी छुपाई है अथवा गलत जानकारी दी है, तो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उसके अध्ययन के दौरान कभी भी उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

3.5 यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है, तो वह प्रवेश का हकदार नहीं होगा अथवा अध्ययन के दौरान भी ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

3.6 अध्येता को दुराचरण, अपराधिक कृत्य से संलिप्तता, अनुशासनहीनता तथा लगातार बिना सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है। अनाधिकृत रुप से बिना किसी पूर्व सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रधानाचार्य के द्वारा गुण दोष के आधार पर की जावेगी। इस अनुपस्थित अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा।

ऐसे प्रवेश के पश्चात निष्कासित अभ्यर्थी, निष्कासन की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिये राज्य की शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. सीटों पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे तथा उन्हें आर्थिक दंड स्वरुप रु 05.00 लाख (रूपये पाच लाख मात्र) संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करने होंगे। बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया के समान की जा सकेगी।

3.7 भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.)/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एन.सी.एच.), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की स्टेट कोटा सीटस् पर पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार प्रवेश दिया जावेगा। कॉउंसिलिंग के समय जिन संस्थाओं को भारत सरकार आयुष मंत्रालय की प्रवेशानुमति प्राप्त होगी उन सभी में प्रवेश की कार्यवाही संचालनालय आयुष म.प्र. स्तर से की जावेगी। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पर प्रवेश की कार्यवाही ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग के माध्यम

से ऐसे आदेश/निर्देशों के अधीन भरी जायेगी, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाये। परन्तु ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग से ऑल इंडिया कोटे की रिक्त सीटें जो कि स्टेट को वापस की जायेगी, ऐसी रिवर्टेड सीट्स को स्टेट कोटा में शामिल करते हुए उन पर राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

3.8 प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु एम.पी.ऑनलाइन की निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई फीस जमा करनी होगी।

4- सेवारत अभ्यर्थी -

4.1 शासकीय सेवारत अभ्यर्थी के लिये 25 प्रतिशत सीट केवल क्लीनिकल विषयों में आरक्षित रहेंगी अर्थात इन विषयों में आरक्षित सीटों पर ही प्रवेश की पात्रता होगी।

4.2 शासकीय सेवारत अभ्यर्थी के लिये आरक्षित सीट के लिये वे आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी पात्र होगे जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर को मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप मे 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।

4.3 अभ्यर्थी को प्रवेश के समय,स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विभाग में 05 वर्ष की सेवा देने संबंधी रु. 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) का बॉण्ड का निष्पादन करना होगा।

4.4 सेवारत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा करना होगा।

4.5 सेवारत अभ्यर्थियों के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु-सीमा प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर को 45 वर्ष होगी।

5 सीटों की उपलब्धताः-

आयुष मंत्रालय भारत सरकार/एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. से अनुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों में प्रवेश हेतु 15 प्रतिशत सीटों को ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित होने वाली सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग द्वारा तथा 85 प्रतिशत सीटों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जावेगा जिसकी जानकारी महाविद्यालयवार, पाठ्यक्रमवार, विषयवार एवं श्रेणीवार म.प्र. राज्य में पी.जी. काउंसिलिंग हेतु विभागीय वैबसाइट www.ayush.mp.gov.in व एम.पी.आनलाइन आयुष पोर्टल https://ayush.mponline.gov.in पर यथा समय प्रदर्शित की जावेगी। इन सीटों को परीक्षा में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से भरा जायेगा। सीटों की संख्या में परिर्वतन हो सकता है, जो यथा समय निर्धारित पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा। सीटों की आरक्षण तालिका काउंसिलिंग के समय आयुष पोर्टल **https://ayush.mponline.gov.in** पर उपलब्ध करायी जावेगी।

6 आरक्षण-

6.1 स्टेट कोटे की समस्त शासकीय (स्वशासी) व निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण म.प्र. शासन द्वारा तत्समय प्रचलित आरक्षण नियमों के अध्यधीन निर्धारित प्रतिशत अनुसार रहेगा ।

6.1.1 महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट) सह विकल्प के अनुसार 33 प्रतिशत होगा। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा।

6.1.2 ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के है, को आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसका पूर्ण उत्तदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

6.1.3 ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस. एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए 06 प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित है, यह आरक्षण हॉरिजोन्टल एवं

कम्पार्टमेन्टलाइज्ड होगा। इसके साथ ही भारत के राजपत्र दिनांक 27 दिसम्बर 2016 एवं म.प्र. के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के प्रारूप जो कि म.प्र.राजपत्र 28 नवम्बर 2017 एवं भारत के राजपत्र में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् संशोधन विनियम-2019 दिनांक 18/06/2019, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के आयुर्वेद (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) के संशोधन 2018 दिनांक 14/12/2018, अथवा समय-समय पर जारी केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के होम्योपैथी (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) के संशोधन 2018 दिनांक 14/12/2018 एवं केन्द्रीय यूनानी परिषद के यूनानी (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) के संशोधन 2018 दिनांक 14/12/2018 में जारी किये गये है तद्नुरूप पॉच केटेगिरी की विकलांगतायें उक्त भारत के राजपत्रों में उल्लेखित विकलांगतायें एवं विकलांगता का प्रतिशत अनुसार दिव्यांग श्रेणी के लिये अभ्यर्थी मान्य होंगे यथाः-

(क) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि
(ख) बहरे और कम सुनने वाले
(ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बोनापन,एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी,
(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी,
(ड.) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता।

उक्त क से ड. तक की विकलांगतायें निर्धारित प्रमाण पत्र एवं प्रतिशत अनुसार मान्य होगी। इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं एमसीआई/एनएमसी द्वारा जारी मापदण्ड अनुसार बैंच मार्क डिसएबिलिटी के लिये नामित नीट डिसएबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर से जारी किया गया डिसएबिलिटी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। इस प्रकार दोनो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.2 यदि किसी दिव्यांग (पी.डब्लू.डी) तथा महिला (एफ) संवर्ग के रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की ओपन संवर्ग में उपलब्ध करा दी जायेंगी। आरक्षित प्रवर्ग की ओपन संवर्ग में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों से उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 6.3 में है।

6.3 आरक्षित संवर्ग की सीट का परिवर्तन -

यदि आरक्षण के अनुसार च्वाइस फिलिंग करने वाले पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को द्वितीय चरण एवं मॉप अप चरण के आवंटन प्रक्रिया के दौरानअन्य प्रवर्गों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी (कृपया नोट भी देखे)-

(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।
(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षितरिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
(घ) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी स्थिति मे आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति ई.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
(ड़) यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति मे रिक्त सीटो की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।

नोट- यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की विकल्प चयन हेतु महाविद्यालयों के लिए च्वाइस लॉक (चयन) किए गये अभ्यर्थियों के समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी।

(च) नियम 6.3 के अनुसार सेवारत अभ्यार्थियों हेतु आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन करने के पश्चात किसी भी प्रवर्ग में योग्य सेवारत अभ्यर्थी न मिलने पर उक्त रिक्त सीट/सीटों को सीट परिवर्तन के पूर्व जिस प्रवर्ग हेतु उक्त सीट मूलतः आरक्षित थी, उसी प्रवर्ग/संवर्ग के गैर-सेवारत अभ्यार्थियों से पूर्ति की जावेगी।

6.4 सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग द्वारा ऑल इण्डिया कोटे की सीट्स नही भरने की स्थिति में रिवर्टेड सीट्स को, स्टेट कोटे में शामिल कर स्टेट लेवल काउंसिलिंग के माध्यम से, तत्समय प्रचलित काउंसिलिंग चरण के प्रभावी नियम/निर्देशों के अनुसार, भरा जावेगा।

7 प्रवेश हेतु पात्रता -

7.1 न्यूनतम अर्हकारी अंक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम-2016 के संशोधन विनियम-2018 के भारत के राजपत्र द्वारा संशोधन दिनांक 07 दिसंबर 2018 एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम-1989 के संशोधन विनियम-2018 के भारत के राजपत्र संशोधन दिनांक 14 दिसंबर 2018 तथा न्यूनतम अर्हकारी अंक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम-2016 के संशोधन विनियम-2018 के भारत के राजपत्र द्वारा संशोधन दिनांक 07 दिसंबर 2018 में उल्लेखित एआईएपीजीईटी की प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम 50 प्रतिशतक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये न्यूनतम प्रतिशत अंक 40 प्रतिशतक होंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, सामान्य श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) हेतु न्यूनतम अंक 45 प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40 प्रतिशतक होंगे तथा उक्त संशोधन अधिनियम के 2(2)(ii) की व्याख्या के अनुसार न्यूनतम अंक प्रतिशतक यथा निर्देशित केन्द्र सरकार द्वारा कम किये जाने पर तद्नुरूप मान्य होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम अनुसार न्यूनतम अंक प्रतिशतक कम किये जाने के दृष्टिगत मेरिट सूची एम0पी0ऑनलाइन द्वारा तैयार की जावेगी, जिसके लिये समस्त ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी. परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी यदि म0प्र0 आयुष काउंसिलिंग हेतु उक्त नियमों के प्रावधान अनुसार पंजीयन कराते हैं तो उनकी मेरिट सूची जारी की जावेगी एवं उपलब्ध अद्यतन न्यूनतम अंक के निर्देशानुसार अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

7.2 शासकीय महाविद्यालयों की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। शासकीय महाविद्यालयों की ऑल इंडिया कोटे की सीटों तथा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों की अनारक्षित सीटों पर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। निजी महाविद्यालयों में आरक्षित वर्ग की सीटों पर मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जावेगा तथा अनारक्षित प्रवर्ग में प्रदेश के स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जावेगी।

7.3.1 अभ्यर्थी द्वारा बी.ए.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के आयुर्वेद महाविद्यालयों से उत्तीर्ण एवं द्वितीय अनुसूची (भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रकाशित द्वितीय अनुसूची अनुसार) में सम्मिलित होना चाहिये।

7.3.2 अभ्यर्थी द्वारा बी.एच.एम.एस. या ग्रेडेड बी.एच.एम.एस. की समस्त परीक्षा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के होम्योपैथी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण एवं द्वितीय अनुसूची (केन्द्रीय होम्योपैथी उपरिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित द्वितीय अनुसूची अनुसार) में सम्मिलित होना चाहिये।

7.3.3 अभ्यर्थी द्वारा बी.यू.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के यूनानी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण एवं द्वितीय अनुसूची (भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रकाशित द्वितीय अनुसूची अनुसार) में सम्मिलित होना चाहिये।

7.4 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परंतु उन्होंने बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर, जो कि आयुष मंत्रालय/ एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हों, उत्तीर्ण की हो।

7.5 सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में पी.जी. पाठ्यक्रम करने के लिए यथायोग्य मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल से पंजीकृत होना चाहिये। पी.जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड/मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद, भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.6 पात्र अभ्यर्थी ने एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो।

7.7 अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय स्वयं उपस्थित रहकर सभी आवश्यक निम्न मूल दस्तावेज प्रोफार्मा-1 सहित प्रस्तुत करना होगा :-

1 **AIAPGET** की ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप एवं फोटो सहित जारी एडमिटकार्ड।
2 **AIAPGET** की अंकसूची।
3 10 वीं/12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची।
4 यथायोग्य बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. परीक्षा के समस्त प्रॉफ की अंकसूची।
5 अनिवार्य इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट**(Compulsory Internship Completion Certificate)** अथवा भारत सरकार द्वारा निर्देशित तिथि तक पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र।
6 अभ्यर्थी का वैद्य पहचान पत्र।
7 मध्य प्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वःघोषित स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
8 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
9 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉन क्रीमीलेयर के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष का (जो काउंसिलिंग सत्र से **01** वर्ष से अधिक पूर्व का न हो) तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वःघोषित आय प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 नवम्बर 2017 के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग के संबन्ध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के लिए निर्धारित मापदण्डानुसार निर्धारित की जावेगी।
10 दिव्यांग संवर्ग हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र।
11 चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाणपत्र।
12 अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.।
13 चरित्र प्रमाणपत्र।

8 काउंसिलिंग समिति एवं प्रावीण्य सूची -

8.1 शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में स्टेट कोटा की सीट्स पर प्रवेश हेतु All IndiaAYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधान के आधार पर एम0पी0 ऑनलाइन तैयार करेगा।

8.2 निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIAPGET) के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची से म0प्र0 एवं म0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों की सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर एम.पी. ऑनलाइन तैयार करेगा।

8.3 उक्त All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIAPGET) के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा निर्मित मेरिट सूची अनुसार तथा एनसीआईएसएम/एनसीएच के निर्देशों के क्रम में स्टेट कोटा की सीट्स पर आवंटन प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाइन द्वारा संपन्न कराई जावेगी।

9- रजिस्ट्रेशनः-

आयुष संचालनालय द्वारा काउंसलिंग की निर्धारित समय सारणी एवं विस्तृत कार्यक्रम जारी कर संचालनालय आयुष, म.प्र. की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.in तथा https://ayush.mponline.gov.in portal पर प्रदर्शित किया जायेगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु https://ayush.mponline.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 500/- (पाच सौ रूपये मात्र) देय होगा। रजिस्ट्रेशन होने के लिए अभ्यर्थी को अपनी **Candidate Profile** बनानी होगी।

नोटः- अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन का अवसर सभी चरणों में प्रदान किया जावेगा। पंजीयन एवं सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/दावा मान्य नहीं होगा।

10. अभिलेख सत्यापन :-

अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय में अपने समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकते है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय एमपी ऑनलाइन के पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

11 काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन-

11.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन का आधार भारत सरकार आयुष मंत्रालय/National Testing Agency द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग होगी। आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे। विभागीय वेबसाइट www.ayush.mponline.gov.in पर महाविद्यालयों की सूची एवं सीटों की आरक्षण तालिका काउंसलिंग के समय जारी की जावेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह लगातार वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

11.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाणपत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा माता-पिता का नाम एक समान लिखा होना चाहिये। यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाइन काउंसिलिंग के पूर्व उसे दुरूस्त करालें अन्यथा प्रवेश निरस्त होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी अनिवार्यतः अपना वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग में प्रस्तुत करेगा, जिसे AIAPGET परीक्षा के समय प्रयोग में लाया गया हो।

11.3 ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पर प्रवेश की कार्यवाही राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी, इसमें संबंधित आदेश/निर्देश भारत सरकार, आयुष मंत्रालय अथवा अधिकृत एजेन्सी द्वारा जारी किये जायेंगे। इस हेतु भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाइट www.ayush.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

11.4 सीटों का आवंटनः-सीटों का आवंटन मेरिट क्रमानुसार ऑनलाईन किया जावेगा।

12. संस्था का चयन -

आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प **https://ayush.mponline.gov.in** पोर्टल पर अपना **Candidate Profile** से लॉगिन करके चॉईस फिलिंग और लॉकिंग करनी होगी, जिसका निर्धारित शुल्क 50/- रूपये (पचास रूपये मात्र) देय होगा। इस राशि की रसीद दी जावेगी, जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी।

13 आवंटन-

13.1 आवेदक आवंटन की निर्धारित तिथि पर https://ayush.mponline.gov.in पोर्टल पर **Candidate** लॉगिन कर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है। सीटों का आवंटन मेरिट क्रम अनुसार किया जावेगा।

13.2 इन नियमों के अंतर्गत काउंसलिंग एवं आवंटन काउंसलिंग समिति की देख-रेख में होगा।

13.3 एम पी ऑनलाइन प्रत्येक चरण के आवंटन के पश्चात प्रवर्गवार एवं संवर्गवार ओपनिंग एवं क्लोजिंग की सूची अल्फाबेटिकल क्रम में महाविद्यालयवार जारी करेगी।

14 रिपोर्टिंग -

आवेदक को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय जाकर मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। प्रवेश हेतु वांछित समस्त अभिलेख सही पाये जाने पर अपना AIAPGET रोल नं0, जन्मतिथि एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक का आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

15- प्रवेश -

15.1 अभ्यर्थी काउंसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा। प्रवेश के समय निर्धारित प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय को देय डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जमा करना होगा।

15.2 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी ।

15.3 यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु संसूचित दिनांक तक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा प्रवेश लेकर सीट छोड़ देता है तो आवंटित/प्रवेशित सीट पर उसका दावा स्वतः समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।

15.4 अभ्यर्थी को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उसका प्रवेश तभी मान्य होगा जब वह चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होगा। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र लागू रहेगा।

15.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि काउंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी हेतु वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं **https://ayush.mponline.gov.in** पोर्टल का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

16 काउंसिलिंग एवं चरण -

योग्य अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत जानकारी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर पृथक से जारी की जावेगी।

16.1 प्रथम चरण की काउंसिलिंग-

1. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होगे।
2. प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु च्वाईस फिलिंग व लाकिंग करना अनिवार्य होगा।
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा।

4. आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प हांगे, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर सकते है या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं।
5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवंटन पत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन के पश्चात कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नही लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे।

16.2 द्वितीय चरण की काउंसिलिंग-

1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात् उनके द्वारा कोई विकल्प नही दिया गया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नही लिया गया है अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है एवं नवीन अभ्यर्थी पात्र होंगे।
2. जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प दिया है, उन्हे नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की आंवटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा।
4. आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थी के पास दो विकल्प होंगे, जिसमें से वह या तो सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते है या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं।
5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवंटन पत्र में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात प्रदाय विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा सन्तुष्ट Satisfiedविकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नही लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरण की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे।
7. द्वितीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 6.2 व 6.3 के तहत किया जायेगा।

16.3 तृतीय चरण की काउंसिलिंग-

1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी तृतीय चरण हेतु पात्र होंगे। सभी पात्र तथा तृतीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा।
2. निर्धारित समय सारणी अनुसार तृतीय चरण का आवंटन किया जावेगा।
3. तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा।

4. तृतीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 6.2 व 6.3 के तहत किया जायेगा।

16.4 स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड (अंतिम चरण)-

1 तृतीय चरण की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में निर्धारित समय सारणी अनुसार स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा।

2 प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में पंजीकृत अभ्यर्थी के अतिरिक्त नवीन अभ्यर्थी को भी पंजीयन की सुविधा प्रदान कर स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड संपादित किया जावेगा। प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अभ्यर्थी स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे।

3 स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड में महाविद्यालय की रिक्त सीटों एवं पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी (विज्ञापित) की जायेगी।

4 उपरोक्त मैरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।

5 स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तत्समय जारी किये जायेंगे।

17 फीस संरचना -

शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा जो कि तालिका-1 में प्रदर्शित है। निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी।

फीस संरचना से सहमति की स्थिति में ही ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग करना चाहिये। प्रवेश काउंसिलिंग पश्चात सीट आवंटित होने पर यहमाना जावेगा कि उपरोक्त संबंधित महाविद्यालय की फीस संरचना से अभ्यर्थी सहमत है। अध्येता के प्रवेश उपरान्त इस संबंध में कोई मांग/संशोधन मान्य नहीं होगा।

18 फीस वापसीः-

काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा काउंसिलिंग के तृतीय चरण तक महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन सीट छोड़ने/प्रवेश निरस्त करने पर, ऐसे छात्रों द्वारा जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर (अधिकतम दस हजार रूपये) शेष राशि लौटायी जावेगी। तृतीय चरण के पश्चात् प्रवेश निरस्त करने पर केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी।

19 प्रवेशित छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत उम्मीद्वार भी सम्मिलित है) -

(क) प्रति शैक्षणिक सत्र में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश,

(ख) प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान महिला अध्येताओं को छात्रवृत्ति के साथ 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। प्रेग्नेन्सी से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्र, प्रसूति अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। अवकाश पर जाने हेतु आवेदन संबंधित शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रधानाचार्यकार्यालय को देना होगा। तथापि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रायोगिक/क्लीनिकल/सैद्धांतिक कक्षाओं में विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम वांछित उपस्थिति की अनिवार्यता रहेगी तथा उपस्थिति पूर्ण न होने पर आगामी 06 माह के लिये पाठ्यक्रम की अवधि में वृद्धि होगी तथा छात्रवृत्ति अदेय होगी।

(ग) विभागाध्यक्ष के पूर्व अनुमति से, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश लेने की पात्रता होगी। बीमारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र अवकाश पर जाने के पश्चात दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ संचय

नहीं किया जा सकेगा। अवकाश पर जाने हेतु आवेदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय को देना होगा।

(घ) विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर 10 दिवस का छात्रवृत्ति के साथ अकादमिक अवकाश जो कि सेमीनार/वर्कशॉप/क्रान्फ्रेन्स/ट्रेनिंग/रिसर्च विजिट के उद्देश्य से होगा, की पात्रता होगी। इस हेतु पेपर प्रस्तुतीकरण/सहभागिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणीः-

(अ) एम.डी./एम.एस आयुर्वेद/एमडी होम /एमडी यूनानी पाठयक्रम प्रशिक्षण के लिये केवल 36 माह का ही स्टायपेंड देय होगा। यदि किसी कारणवश यह अवधि 36 माह से अधिक होती है तो अधिक अवधि का स्टायपेंड देय नहीं होगा।

(ब) उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 19 के (क) से (घ) तक के अवकाश का लेखा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा रखा जावेगा ।

20 प्रवेशप्रक्रिया कार्यक्रम –

1	ऑल इंडिया कोटा प्रथम चरण काउंसिलिंग की तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।
2	ऑल इंडिया कोटा द्वितीय चरण काउंसिलिंग की तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।
3	स्टेट कोटा प्रथम चरण काउंसिलिंग की तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।
4	स्टेट कोटा द्वितीय चरण कांउसिलिंग	यथासमय घोषित की जायेगी।
5	स्टेट कोटा तृतीय चरण कांउसिलिंग	यथासमय घोषित की जायेगी।
6	स्टेट कोटा स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड	यथासमय घोषित की जायेगी।
7	प्रवेश की अंतिम तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।
8	सत्रारंभ तिथि	यथासमय घोषित की जायेगी।

21 आयुष संचालनालय द्वारा नियम 20 में दर्शाये अनुसार ऑनलाइन कांउसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्धारित समय सारणी जारी कर आयुष, संचालनालय आयुष की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.in तथा https://ayush.mponline.gov.in पोर्टल पर विज्ञापित किया जायेगा। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी विज्ञापित कर सूचित किया जावेगा।

22 प्रदेश के शासकीय या निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों को भारत सरकार/एनसीआईएसएम/एनसीएच से यदि कोई सीट वृद्वि की अनुमति अथवा किसी नवीन महाविद्यालय को मान्यता/प्रवेश अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व अथवा काउंसिलिंग के मध्य प्राप्त होती है तो संबंधित महाविद्यालय को काउंसिलिंग चरण के च्वाइस फिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व दिनांक तक ही उस चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि च्वाइस फिलिंग प्रांरभ होने की दिनांक को अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में महाविद्यालय को संभावित आगामी चरण में सम्मिलित किया जा सकेगा।

23 महाविद्यालयों द्वारा, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित निकाय अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। साथ ही यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ है अथवा काउंसिलिंग प्रक्रिया से हटकर संस्था स्तर पर हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं/अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, एवं यूनानी शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।

24 राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के अंतिम चरण के उपरांत रिक्त रह गयी सीट पर महाविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में सीधे प्रवेश नहीं दिये जावेगे। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाकर किसी छात्र को सीधे प्रवेश देन. प्रमाणित पाया जाता है तो संबंधित संस्था को महाविद्यालय संचालन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायेगा एवं संबंधित महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध एनसीआईएसएम एक्ट 2020/एनसीएच एक्ट 2020 के नियम-28 के उपनियम-(1)(a)(f) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

25 उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/एन.सी.आई.एस.एम./एन.सी.एच. अथवा आयुष विभाग म.प्र. शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशो/निर्देशो/नियमों के अधीन रहेंगे। पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुए प्रवेश उपरांत यदि संबंधित आदेश/नियम/निर्देश में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग पर ही लागू होंगे।

26 विश्वविद्यालय के लिये दिशा निर्देश-

26.1 एनसीआईएसएम/एनसीएच से प्रवेशानुमति प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा दिये गये प्रवेश ही विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किये जायेंगे।

26.2 महाविद्यालय द्वारा किये गये ऑफलाइन प्रवेश, काउंसिलिंग प्रक्रिया से हटकर किये गये प्रवेश, प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि के पश्चात् किये गये प्रवेश एवं स्वीकृत सीट संख्या से अधिक प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नही किये जायेंगे।

26.3 एएसीसीसी द्वारा तीन चरणों की काउंसिलिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी। तृतीय चरण के उपरान्त रिक्त सीटों को डीम्ड विश्वविद्यालयों को स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड संपादित करने हेतु रिवर्ट किया जायेगा। इस हेतु एएसीसीसी के द्वारा उन्हें पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रदान की जायेगी, जिसके मैरिट क्रम को कढ़ाई से पालन किया जायेगा। डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में केवल एएसीसीसी के पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे।

27 महाविद्यालय के लिये दिशा निर्देश-

27.1 AIAPGET की न्यूनतम अर्हता के बिना किसी भी अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नही दिया जायेगा।

27.2 निर्धारित प्रक्रिया के विपरित किसी प्राधिकारी अथवा महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश की कार्यवाही नही की जायेगी अन्यथा ऐसे किये गये प्रवेश एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा।

27.3 एनसीआईएसएम/एनसीएच के दिशा-निर्देशों के विपरित महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश क्षमता से अधिक/ऑफलाइन प्रवेश किये गये प्रवेश मान्य नही किये जायेंगे।

27.4 कोई भी ऑफलाइन प्रवेश अथवा काउंसिलिंग के बिना किये गये प्रवेश अथवा स्वीकृतसीट संख्या के अतिरिक्त किये गये प्रवेश नही किये जायेंगे एवं ऐसे प्रवेश को मान्य नही किया जायेगा।

27.5 एनसीआईएसएम/एनसीएच के दिशा-निर्देशों के विपरित किये गये कोई भी प्रवेश अमान्य समझे जावेंगे एवं इस संबंध में एनसीआईएसएम एक्ट 2020/एनसीएच एक्ट 2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

27.6 यदि महाविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी अनियमितताऐं जैसे ऑफलाइन प्रवेश, काउंसिलिंग प्रक्रिया से हटकर प्रवेश अथवा स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जाती है तो संबंधित महाविद्यालय के विरूद्ध एनसीआईएसएम एक्ट 2020/एनसीएच एक्ट 2020 के नियम-28 के उपनियम-(1)(a)(f) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

27.7 प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि के पश्चात् किये गये कोई भी प्रवेश मान्य नही किये जायेंगे।

27.8 किसी भी प्राधिकारी को एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि को बढ़ाने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है और ऐसे प्रवेश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

27.9 किसी भी प्राधिकारी को एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता को संशोधित करने का अधिकार नहीं है।

27.10 एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों द्वारा उनके प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित की जायेगी।

27.11 काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त महाविद्यालय एएसीसीसी के पोर्टल www.aaccc.gov.in एवं राज्य कोटे की काउंसिलिंग के पोर्टल ayush.mponline.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करेंगे।

27.12 महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पूर्व अभ्यर्थी की जानकारी का प्रमाणिकता को सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश की दिनांक को एवं प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ तिथि के पश्चात् एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई परिवर्तन/संशोधन नही किया जायेगा।

27.13 महाविद्यालय द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग कार्यक्रम का अनुपालन करना होगा एवं प्रत्येक चरण के उपरान्त प्रवेशित छात्रों एवं रिक्त सीटों की जानकारी संचालनालय को देनी होगी।

27.14 महाविद्यालय काउंसिलिंग प्रक्रिया से प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों की सूची प्रवेश की अंतिम कट-ऑफ की तिथि यथासमय घोषित की जायेगी। जिससे तथा तदसमय सायं 06 बजे तक एनसीआईएसएम/एनसीएच को पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

28 सक्षम प्रधिकारीः-

किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबन्ध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

29 नियमों में संशोधन का अधिकारः-

प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा। इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के सबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पक्षो पर बाध्यकारी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, अपर सचिव.

Table-1

शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों की फीस

क्र.	फीस का मद	आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी	अन्य विवरण
1	शिक्षण शुल्क	45,000	45,000	45,000	प्रतिवर्ष
2	स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क)	1,500	5,000	1,500	प्रतिवर्ष
3	सुरक्षा निधि(रिफंडेबिल)	10,000	10,000	10,000	प्रवेश के समय एक बार
4	शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क	4,000	5,000	4,000	प्रवेश के समय एक बार
5	छात्रावास सुरक्षा निधि(रिफंडेबिल)	5,000	10,000	5,000	प्रवेश के समय एक बार (केवल छात्रावासी छात्रों के लिए)
6	छात्रावास निवास शुल्क	20,000	20,000	20,000	प्रतिवर्ष (केवल छात्रवासी छात्रों के लिए)

नोट- उक्त फीस संरंचना प्रवेश के समयप्रत्येक अभ्यर्थी पर लागू होगी साथ ही महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा समय समय पर अनुमोदित अन्य शुल्क व संशोधन लागू होंगे।

2 -निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों की फीस-

म.प्र. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2007 के अंतर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस देय होगी, जिसे समिति की बेवसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है तथा निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालय की फीस म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अनुसार देय होगी। जिसे समिति की बेवसाइट www.mpnvva.in पर देखा जा सकता है

प्रारूप - 1

एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद/एमडी होम्योपैथी/एमडी यूनानी काउंसलिंग अभिलेखसत्यापन प्रपत्र

(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

में घोषणा करता/करती हूँ कि मेंनें मध्यप्रदेश एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद)/एमडी होम्योपैथी/एमडी यूनानी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियमभलीभांति पढकर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कॉउसिलिंग, में भाग ले रहा/रही हूं ।

कॉउंसिलिंग, में भाग लेने के लिए आज दिनांक ..... को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए-

1. प्रवेश परीक्षा एआईएपीजीईटी का रोल नं. .....
2. मेंरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक :.....
3. प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक :.....
4. पूरा नाम :.....
5. माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम :.....

पता:.....

टेली./ मो. न :.....

6.1 श्रेणी(अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ावर्ग/ई.डब्लू.एस.).....

6.2संवर्ग (दिव्यांग /महिला/ओपन) : .....

7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे है, उनके सामने सही (√) का चिन्ह लगायें।

1. ☐ प्रवेश परीक्षा की मूल अंकसूची ।
2. ☐ स्नातक परीक्षा की मूल अंकसूची । (समस्त)
3. ☐ इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
4. ☐ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
5. ☐ आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र ।

Book No.	Disp.No.	Place	Issuing Authrity

6. ☐ जन्मतिथि के संबंधी कक्षा 10वी की अंकसूची । DD MM YYYY ☐☐☐☐

7. ☐ मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र ।

Book No.	Disp.No.	Place	Issuing Authrity

8. ☐ आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में। (वर्तमान वित्तीय वर्ष का जारी)
9. ☐ संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित। (यदि लागू हो तो)

पूरा नाम
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर,
दिनांक

अभिलेख सत्यापन (सूक्ष्म परीक्षणोपरांत, जाँच समिति द्वारा भरा जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का AIA-PGET में सम्मिलित अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर से मिलान करने बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है।
भिन्नता के स्थिति में टिप्पणी.....
.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों (1-9) की जांच की गई। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं। प्रमाण-पत्रों तथा अभिलेखों पर पाई गई कमियाँ निम्नानुसार हैः-

.....
.....
.....
.....
.....

सदस्य, अभिलेख सत्यापन समिति के हस्ताक्षर

नाम..... पदनाम.....
दिनांक.....
परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा उल्लेखित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख जैसे
.....
.....
.....प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य
कारणों ..... से
कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।

अध्यक्ष, अभिलेख सत्यापन समिति के हस्ताक्षर

नाम..... पदनाम.....
दिनांक.....

प्रारूप-1-अ

शपथ पत्र

में/आत्मज/आत्मजा श्री.....उम्र.....निवासी..... आज दिनांक.....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से में बचनबद्व रहूँगा/रहूँगी।
आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर में नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूगॉ/करूंगी।

1. गवाह के हस्ताक्षर
दिनांक.....
नाम.....
पूरा पता.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक.....
नाम.....
पूरा पता.....

2. गवाह के हस्ताक्षर
दिनांक.....
नाम.....
पूरा पता.....